

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किमी 0 सं 0 121 + 870 पर क्रॉस कर रहे एन 0 एच 0 330 प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु एक्सप्रेसवे के लूप के प्रवेश/निकास पर फ्लाई ओवर/वायाडक्ट के निर्माण हेतु आवागमन से प्रभावित 4.80 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 701 वृक्षों/पौधों के पातन/ट्रांसप्लांट की अनुमति (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/144211/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-233/81-2-2021-800(163)/2021 दिनांक 27 सितम्बर 2021 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर
(आशीष तिवारी)

सचिव

पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

Signed by आशीष तिवारी

Date: 27-09-2021 17:24:35

Reason: Approved

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित